30-61) आवेदक एवं उनकी धर्मपत्नी के विरुद्ध दर्ज प्रार्थी का
मुकदमा विचाराधीन होने से आवेदक का आपराधिक कोई
औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकृत किया जाता है एवं
नायब तहसीलदार, सदर तकमील दारुल दफ्तर की जगह विपक्ष
के कार्य में किया जाकर सुनाया गया।

Scanned by CamScanner